भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3374

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024 / 25 अग्रहायण, 1946 (शक)

चाय बागानों के मालिकों द्वारा ईपीएफ योगदान जमा न करना

3374. श्री मनोज तिग्गा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में चाय बागान कामगारो का एक बड़ा कर्मीबल है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत कितने कामगार पंजीकृत हैं;

(ग) क्या सरकार को, चाय बागान के मालिकों द्वारा कामगारों के वेतन से काट लिए गए उनके कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के जमा न होने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) कामगारों का कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान जमा न करने वाली संस्थाओं और कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(च) ऐसे मामलों की जांच हेतु मौजूद तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(छ) पीड़ित कामगारों को किस प्रकार राहत प्रदान किया जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के साथ पंजीकृत चाय बागान कामगारों की संख्या नीचे दी गई है:

प्रतिष्ठान की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
940	6,79,230

जारी..2/-

(ग) और (घ): अंशदान जमा न कराने के संबंध में प्रतिष्ठानों के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों में की गई कार्रवाई का ब्यौरा इस प्रकार है:

धारा 7 ए के तहत किया गया मूल्यांकन	**दर्ज अभियोजन मामले**	**आईपीसी की धारा 406/409 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी**
45	11	33

(ङ): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं की विभिन्न धाराओं के प्रावधानों के अनुसार कामगारों का ईपीएफ अंशदान जमा न करने वाली संस्थाओं एवं कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(च): ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम की धारा 13 के तहत नियुक्त निरीक्षक (प्रवर्तन अधिकारी) मामलों की जांच करता है और यदि चूक पाई जाती है, तो अधिनियम की प्रयोज्यता या बकाया राशि के आकलन, जैसा भी मामला हो, के बारे में निर्णय लेने के लिए धारा 7क के तहत जांच शुरू की जाती है।

(छ): ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार चूक की स्थिति में जब नियोक्ता से वसूला जाता है तो कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभ का देय हिस्सा सदस्यों के खाते में जमा कर दिया जाता है।

****